संख्या– /VI-I/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय
देहरादून।

खेल अनुभाग

देहरादून दिनांक:2 • दिसम्बर, 2005

विषयः– जनपद बागेश्वर में इन्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–2060/बा0स्टे0नि0प0 /2005–06/देहरादून दिनांक–19, सितम्बर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में उक्त इन्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित रूपये 71.12 लाख (रूपये इक्कतर लाख बारह हजार मात्र) के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

i) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

vii) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

viii) निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

ix) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य संभव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं दता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमश) 03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम (लघु शीर्षक–108 के स्थान पर) आयोजनागत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना–104–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नये कार्य)– 24 वृहद निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

4. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–276 /वित्त (व्यय–नियत्रंण) अनुभाग–3 /2005 दिनांक– 16, दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 374 /VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, जनपद– बागेश्वर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद बागेश्वर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तरांचल, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
9. एन0आई0सी0, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव